25

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग-2172/पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.12.2015 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 154/अपील/12-13.

---

1. श्रीमती गुनीबाई पत्नी स्व. लक्ष्मण धोटे,
2. युवराज पुत्र स्व. लक्ष्मण धोटे
3. बारकू पुत्र स्व. लक्ष्मण धोटे
   सभी निवासी जाति कुंबी पेशा कृषि
   ग्राम दातोरा, तह. मुलताई, जिला बैतूल
4. श्रीमती शिवकन्या पुत्री स्व. लक्ष्मण एवं
   पत्नी सुखदेव पारखे,
   जाति कुंबी पेशा कृषि
   ग्राम साईखेड़ा, तह. मुलताई, जिला बैतूल ....आवेदकगण

विरूद्ध

1. गुलाबराव पुत्र रघुनाथ
   निवासी जाति कुंबी पेशा कृषि
   ग्राम दातोरा, तह. मुलताई, जिला बैतूल
2. सुखदेव पुत्र रघुनाथ
   निवासी जाति कुंबी पेशा कृषि
   ग्राम दातोरा, तह. मुलताई, जिला बैतूल
3. श्रीमती मीरा पति पंढरी,
   निवासी जाति कुंबी पेशा कृषि
   ग्राम धनोरा, तह. आठनेर, जिला बैतूल
4. श्रीमती खकानी पति किसनजी

निवासी जाति कुंबी पेशा कृषि
ग्राम साईखेड़ा, तह. मुलताई, जिला बैतूल

5. नत्थू पुत्र श्यामूजी नाबंगे
निवासी जाति कुंबी पेशा कृषि
ग्राम साईखेड़ा, तह. मुलताई, जिला बैतूल
6. श्रीमती शांताबाई पति अमृतराव साबलें
निवासी जाति कुंबी पेशा कृषि
ग्राम बघोली, तह. मुलताई, जिला बैतूल
7. श्रीमती मालूबाई पति रामराव मगरदे
निवासी जाति कुंबी पेशा कृषि
ग्राम सोनोरा, तह. आठनेर, जिला बैतूल
8. श्रीमती बायाबाई पति महादेव देशमुख
निवासी जाति कुंबी पेशा कृषि
ग्राम सोनोरा, तह. आठनेर, जिला बैतूल
9. श्रीमती गयाबाई पति सिरपति राने
निवासी जाति कुंबी पेशा कृषि
ग्राम साबड़ीटाना, तह. मुलताई, जिला बैतूल ....अनावेदकगण

श्री अनिल चन्द्रोकर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आनंद शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 31/10/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 11.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई के समक्ष ग्राम दातोरा की संशोधन पंजी क्रमांक 15 आदेश दिनांक 09.06.1996 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई कि ग्राम दातोरा की विवादग्रस्त भूमि के मूल पुरूष जैराम थे, उनके पश्चात् उक्त भूमि आवेदकगण एवं अनावेदकगण को प्राप्त हुई। रघुनाथ की मृत्यु के पश्चात् संशोधन पंजी 13 के द्वारा समस्त वारसान आवेदकगण के पिता स्व. लक्ष्मण एवं अनावेदक क्र. 1, 2 व 4 के नाम एवं मृतक बनाबाई के नाम दिनांक 02.12.1991 को राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज हो गये। लक्ष्मण व श्रीमती मीरा द्वारा पूर्व में स्व. रघुनाथ की मृत्यु के पश्चात् हुए नामांतरण को अपास्त किये बिना वसीयतनामा दिनांक 22.01.1988 एवं आपसी विभाजन के आधार पर संशोधन क्रमांक 13 आदेश दिनांक 02.12.1991 को प्रमाणीकरण करा लिया था। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. 28/अ-6/10-11 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2012 के अनुसार संशोधन पंजी क्रमांक 15 आदेश दिनांक 09.06.1996 विधिसम्मत न होने से निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 08.12.2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31.10.2012 निरस्त किया गया। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) के.के. थापक, अभिभाषक द्वारा फीस एवं वकालतनामा लेकर आयुक्त के न्यायालय में उपस्थित नहीं होकर व्यवसायिक कदाचार किया है। अभिभाषक की गलती के लिए पक्षकार को दंडित नहीं किया जा सकता है। सबब जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में है तथा अभिलेख से यह स्पष्ट है कि आवेदकगण की उपस्थिति में आदेश पारित नहीं हुआ है। सबब आदेश की जानकारी नकल प्राप्ति दिनांक 13.05.2016 से अपील अवधि में है। ऐसी स्थिति में विलंब क्षमा किया जाकर अपील का निराकरण गुण दोषों के आधार पर किया जावे। इस संबंध में 2016 आर.एन. 250, 2016 आर.एन. पृष्ठ 4 (हाईकोर्ट), 2012 आर.एन. 108, 1997 आर.एन. 360, 1996 आर.एन. 351 एवं 1987 आर.एन. पृष्ठ 125 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(2) आवेदक क्र. 1 के पति एवं अन्य के पिता लक्ष्मण द्वारा उक्त नामांतरण की रा.अ.क्र. 28/अ-6/2010-11 अनुविभागीय अधिकारी को की, जिसमें आदेश दिनांक 31.10.2012 द्वारा उक्त नामांतरण निरस्त कर सभी के नाम दर्ज का आदेश हुआ है। अनावेदक क्र 1 व 2 ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद को अपील की तथा एक व्यवहार वाद उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत् व्य.वा.क्र. 39/अपील/14 पेश किया, जिसमें अनावेदक क्र. 1 व 2 ने स्व. लक्ष्मण को रामजी का गोदपुत्र होने से उसे रघुनाथ की सम्पत्ति में हक न होने तथा वसीयतनामा दिनांक 22.01.1988 से पूर्ण स्वामी होने बावत् पेश किया तथा स्व. लक्ष्मण द्वारा एक प्रतिदावा विवादित भूमि के स्वत्व की उद्घोषणा बावत् पेश किया कि विवादित भूमि में लक्ष्मण का 1.096 हैक्टेयर का स्वत्व है तथा वसीयतनामा दिनांक 22.01.1988 अवैध एवं शून्य होकर लक्ष्मण पर बंधनकारक नहीं है। उक्त प्रकरण में दिनांक 0511.2015 को वादीगण का दावा खारिज होकर लक्ष्मण का प्रतिदावा स्वीकार कर स्व. लक्ष्मण के पक्ष में डिक्री पारित हो गई है तथा वसीयतनामा दिनांक 22.01.1988 को अवैध एवं शून्य घोषित किया है। इस प्रकार विवादित भूमि में आवेदकगण का 1.096 हैक्टेयर का स्वत्व है तथा उसे बंटवारा कर कब्जा देनेके आदेश हुए हैं। व्यवहार न्यायालय का निर्णय राजस्व न्यायालय पर बंधनकारक है। ऐसी स्थिति में आयुक्त का आदेश अवैध एवं शून्य है तथा निरस्त करने योग्य है। इस संबंध में 2010 आर.एन. 191 एवं 1985 आर.एन. 218 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(3) विवादित सम्पत्ति स्व. जयराम से उनके सभी वारसानों को अर्थात् रघुनाथ, खकानी, सोनी को प्राप्त हुई तथा उक्त सम्पत्ति उनके पैत्रक खानदानी शामिल शरीक सहदायिकी सम्पत्ति थी तथा उनके मध्य बंटवारा नहीं हुआ तथा राजस्व अभिलेखों में सम्पत्ति शामिल शरीक दर्ज थी। ऐसी स्थिति में स्व. रघुनाथ को सम्पूर्ण सम्पत्ति वसीयत करने का अधिकार नहीं था। इस आधार पर भी वसीयतनामा अवैध एवं शून्य था। इस संबंध में 1985 आर.एन. 210 एवं 1993 आर.एन. 138 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(4) वसीयत दिनांक 22.01.1988 की विवादित सम्पत्ति रघुनाथ, खकानी एवं सोनी के नाम दर्ज थी अर्थात् अकेले रघुनाथ के नाम दर्ज नहीं थी। ऐसी स्थिति में उक्त दिनांक को रघुनाथ अकेला भूमि स्वामी न होने से उसे तथा कथित वसीयतनामा लिखने का अधिकार

न होने से वसीयतनामा दिनांक 22.01.1988 अवैध एवं शून्य है। इसी कारण व्यवहार न्यायालय द्वारा उसे अवैध एवं शून्य मानकर आवेदक क्र. 1 के पति व अन्य के पिता पर बंधनकारक नहीं माना है। इस संबंध में 1990 आर.एन. 169 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्य.वा.क्र. 39/अपील/14 में पारित निर्णय को अनदेखा कर आदेश पारित किया है। निर्णय की कंडिका 26 में स्पष्ट है कि स्व. रघुनाथ द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 22.01.1988 में स्व. जयराम के अन्य वारसान खकाकनी एवं सोनी तथा पैत्रक सम्पत्ति होने से स्व. रघुनाथ के वारसान लक्ष्मण अनावेदक गुलाबराव, सुखदेव तथा श्रीमती मीरा जन्म से सहधारक थे। इन सभी के हिस्सों को अपवर्जित कर स्व. रघुनाथ ने वसीयतनामा लिखा, जिसका उसको कोई अधिकार नहीं था। इसी प्रकार निर्णय की कंडिका 27 में वसीयतनामा अनुप्रमाणिक साक्षियों से प्रमाणित न करने तथा नैसर्गिक उत्तराधिकारियों को उनके स्वत्व से वंचित करने से तथा सहदायिकी सम्पत्ति का बिना बंटवारा किये वसीयत करने से इच्छापत्र त्रुटिपूर्ण माना है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत को आधार मानकर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है, जो स्थिर रखने लायक नहीं है। इस संबंध में म.प्र.वि. नोट 1998(2) नोट 19, म.प्र.वि. नोट 1998(2) नोट 87, 1985 आर.एन. 210 एवं 2010 आर.एन. 191 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(6) अनावेदक क्र. 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 22.01.1988 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया गया है। वसीयत दिनांक को वादग्रस्त भूमि स्व. रघुनाथ, खकानी एवं सोनी के नाम से दर्ज थी। तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति का श्रीमती खकानी एवं श्रीमती सोनी द्वारा अपना हक त्यागनामा (रजिस्टर्ड) विक्रय पत्र, दान नहीं किया था। ऐसी स्थिति में सह भूमिस्वामी को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता तथा राजस्व न्यायालय उनके नाम अभिलेख में सह भूमिस्वामी के रूप में अभिलिखित है, काट नहीं सकते थे। इस संबंध में म.प्र.ला.ज. 20132013(2) पृष्ठ 289 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(7) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्व. जयराम से प्राप्त विवादग्रस्त सम्पत्ति स्व. रघुनाथ, खकानी, सोनी की पैत्रक खानदानी सम्पत्ति थी, जिसमें उनको जन्म से अधिकार था। ऐसी

स्थिति में स्व. रघुनाथ पूर्ण सम्पत्ति का स्वामी नहीं था। इसलिए उसे सम्पूर्ण भूमि के संबंध में वसीयत करने का अधिकार नहीं था। इस संबंध में म.प्र.वि. नोट 2003(1) नोट 100 सुप्रीम कोर्ट का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर उपरोक्त विवेचना एवं न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में प्रथम दृष्टया अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2015 निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31.10.2012 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण के पूरे तथ्य किसी भी न्यायालय ने नहीं देखे हैं। रघुनाथ की मृत्यु के बाद पंजी क्र. 13 पर 02.12.1991 को ही उनके सभी वारिसों के नाम चढ़ गये थे फिर पंजी क्र. 15 पर रघुनाथ का नाम दर्शा कर वर्ष 1996 में वसीयत पर बंटवारा नहीं किया जा सकता था। वसीयत को प्रमाणित भी करना होता है तथा सभी वारिसों को सुनना भी होता है, जो समस्त कार्यवाही तहसील न्यायालय में नहीं हुई। उक्त विवेचना के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद का आदेश दिनांक 08.12.2015, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31.10.2012 एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 09.06.1996 निरस्त किये जाते हैं। निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर